



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

संख्या-3027

-अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/अनु०का०-II ई०-19

दिनांक 28/06/2025

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा श्री गौतम कुमार सिंह, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, कार्यालय अधिशासी निदेशक (मा०सं०), उपाकालि, वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को "स्वामी विवेकानन्द सुभारती यूनिवर्सिटी", मेरठ द्वारा दूरस्थ-शिक्षा के माध्यम से वर्ष 2025-26 में संचालित एम०बी०ए० (एच०आर० एण्ड आई०टी०) द्वितीय वर्ष (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) करने एवं तत्सम्बन्धित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधोवर्णित प्रतिबन्धों के अधीन कार्यालयेत्तर अध्ययनार्थ अनुमति प्रदान की जाती है :-

प्रतिबन्ध होंगे कि उक्त अध्ययन के कारण :-

1. प्रश्नगत अनुमति/अध्ययन से कारपोरेशन कार्य सम्पादन में किसी प्रकार का हास उत्पन्न न हो तथा कार्यक्षमता में न तो किसी प्रकार की शिथिलता उत्पन्न हो और न अपने कर्तव्य पालन की उपेक्षा हो।
2. यदि ऐसा भासित होगा कि उक्त अनुमति प्रदान करने के फलस्वरूप सम्बन्धित कर्मचारी के कार्य में शिथिलता आ गयी है या कार्य सम्पादन में हास उत्पन्न हो गया है अथवा उक्त अनुमति देना कारपोरेशन के हित में नहीं है तो प्रदान की गयी अनुमति को कारपोरेशन किसी भी समय बिना कोई पूर्व सूचना के तत्काल निरस्त कर देगा।
3. उपर्युक्त अनुज्ञा प्राप्त होने के फलस्वरूप सम्बन्धित कर्मचारी मात्र इस आधार पर अपने अवकाश/तैनाती अथवा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में किसी प्रकार की विशेष सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।
4. उपर्युक्त अनुमति से सम्बन्धित परीक्षा की तैयारी के लिए सम्बन्धित कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः कारपोरेशन एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए ही अनुमन्य होगा।
5. एक वर्ष से अधिक पाठ्यक्रम/अध्ययन के लिए प्रतिवर्ष नवीन अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
6. प्रश्नगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर कारपोरेशन उसका लाभ देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

अधिशासी निदेशक (मा०सं०)

संख्या-3027

-अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/अनु०का०-II ई०-19, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टॉफ ऑफिसर-अधिशासी निदेशक(मा०सं०), उपाकालि, वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता(का०मै०), उपाकालि, वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता(सू०प्रौ०), उपाकालि, वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. सम्बन्धित कार्मिक को नाम से इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त यूनिवर्सिटी एवं पाठ्यक्रम की मान्यता के विषय में पूर्ण दायित्व स्वयं का होगा।
5. कार्यालय ज्ञाप पत्रावली/वैयक्तिक पत्रावली।

for Shate
(एस०के०भाटिया)
28/6/25

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी